समक्षः—न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदयजी ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण कमांक— R-795-PBZ-17

अमरसिंग पिता नान्हू जाति गोण्ड उम्र—78 वर्ष

निवासी लक्कडजाम तहसील भैंसदेहीं जिला—बैतूल म.प्र.

.....आवेदक/रिविजनकर्ता

बनाम

1— अजबसिंग पिता गम्मू जाति गोण्ड

2— पंचम पिता गम्मु जाति गोण्ड

3— फागू पिता गम्मू जाति गोण्ड सभी

निवासी लक्कडजाम तह0 भैंसदेहीं जि—बैतूल म.प्र.

.....अनावेदक/गैररिविजनकर्तागण

आवेदन पत्र वास्ते रिविजन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता ।

आवेदक/रिविजनकर्ता की ओर से विनय है कि :—

आवेदक/रिविजनकर्ता उक्त रिविजन अधिनस्थ विचारण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त भीमपुर के रा0मा0क0—14अ/27 वर्ष 2016—17 में पारित आदेश दिनॉक 02/02/2017 से पीडित एवं व्यथित होकर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है ।

//प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/रिविजनकर्ता एवं अनावेदगण/गैररिविजनकर्तागण गोण्ड जाति के आदिवासी सदस्य होकर आपस मे सगे रिश्तेदार है । ग्राम लक्कडजाम प0ह0नं0—11 तहसील भैंसदेहीं जिला बैतूल म0प्र0 मे स्थित खसरा नम्बर 192 रकबा 0.963 हे0 भूमि आवेदक/रिविजनकर्ता के नाम संशोधन कमांक 07 आदेश दिनॉक 18/01/1976 के अनुसार राजस्व अभिलेखों मे दर्ज हुआ था । जिसे अनावेदकगण/गैररिविजनकर्तागण द्वारा प्रथक अपीलीय न्यायालय मे चुनौती दी गई जिसके रा0मा0क0—9/अपील/2006—07 मे दिनॉक 30/04/2007 को अपील स्वीकार की गई थी । आवेदक/रिविजनकर्ता द्वारा द्वितीय अपील श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय भोपाल के समक्ष की गई थी । जिसमें श्रीमान

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 795–पीबीआर/17 [अमरसिंह/अजबसिंह] जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–3–2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 2–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारा प्रकरण लंबित है और आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है, जबकि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा सहखातेदारों के मध्य होता है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	